रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2010/माघ 30, 1931
No. 77] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2010/MAGHA 30, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 86(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (औषधि निरीक्षक) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में औषधि निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (औषधि निरीक्षक) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद की संख्या, उसका वेतनमान वह होगा, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
औषधि निरीक्षक	169* (2010) *कार्यभार के आधार पर इस अतिरिक्त उपबंध के साथ परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण** 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) नैदानिक भेषज विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भेषजी या भेषजिकी विज्ञान या आयुर्विज्ञान में डिग्री या समतुल्य; या (ii) (क) अनुसूची 'सी' में विनिर्दिष्ट पदार्थों में कम से कम एक पदार्थ के विनिर्माण में अठारह मास का अनुभव; या (ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के अनुमोदित प्रयोगशाला में अनुसूची 'सी' में विनिर्दिष्ट पदार्थों में कम से कम एक पदार्थ का परीक्षण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(128

(8)	
करने का अठारह मास का अनुभव; या (ग) औषधि निरीक्षक के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अनुसूची 'सी' में विनिर्दिष्ट पदार्थों में से किसी पदार्थ का विनिर्माण करने वाले फर्मों के निरीक्षण का तीन वर्ष का अनुभव ।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती टिप्पण.—पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष का या अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी ; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 : 9300-34800 रु. और 4200 रु. ग्रेड वेतन या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर, उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है । टिप्पण.—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :— 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय —अध्यक्ष 2. औषधि नियंत्रक (भारत)/उप-औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय —सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए. 12018/3/2006-डी]

विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2010

G.S.R. 86(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of Central Drugs Standard Control Organisation (Drugs Inspectors) Recruitment Rules, 1990 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Drugs Inspector in the Directorate General of Health Services under the Ministry of Health and Family Welfare, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Drugs Standard Control Organisation (Drugs Inspectors) Recruitment Rules, 2010, in the Directorate General of Health Services.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule aforesaid.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.**— No person,—

(a) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, in consultation with the Union Public Service Commission, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Drugs Inspector	169* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300-34800+ Rs. 4800 Grade Pay	Not applicable	No

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants	Essential :— (i) Degree in Pharmacy or	Not applicable	Two years

(7)	(8)
upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Micro-biology from a recognized University or equivalent; (ii) (a) Eighteen months' experience in the manufacture of at least one of the substances specified in Schedule 'C'; or (b) Eighteen months' experience in testing of at least one of the substances specified in Schedule 'C' in a laboratory approved for this purpose by the licensing authority; or (c) Three years' experience in the inspection of firms manufacturing any of the substances specified in Schedule 'C' during the tenure of their services as Drugs Inspector.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation or by absorption grades from which promotion or by deputation or by absorption to be made
(11)	(12)
Direct recruitment Note.—Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 Rs. 9300-34800 and Grade Pay Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column (8). Note.—The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

(13)

1.	Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	—Chairman
2.	Drugs Controller (India)/ Deputy Drugs Controller (India)—Directorate General of Health Services	—Member
3.	Director (Administration and Vigilance) Directorate General of Health Services	—Member

[F. No. A. 12018/3/2006-D]

VINEET CHAWDHRY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2010/वैशाख 7, 1932

No. 214] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2010/VAISAKHA 7, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 350(अ).—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में औषध निरीक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों को अधिसूचित करने वाले सं. सा.का.नि. 86(अ) के रूप में 19-2-2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित दिनांक 19-2-2010 की भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या ए-12018/3/2006-डी में अनुसूची के स्तंभ 8 के अंतर्गत प्रविष्टियों को निम्नवत पढ़े जाने के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनिवार्य :—

(i) नैदानिक भेषज विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भेषजी या भेषजिकी विज्ञान या आयुर्विज्ञान में डिग्री या समतुल्य,

(ii) (क) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'सी' में विनिर्दिष्ट पदार्थों में कम से कम एक पदार्थ के विनिर्माण में अठारह माह का अनुभव, अथवा

(ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा परीक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित प्रयोगशाला में औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'सी' में विनिर्दिष्ट पदार्थों में कम से कम एक पदार्थ का परीक्षण करने का अठारह माह का अनुभव, अथवा

(ग) औषध निरीक्षक के रूप में अपनी सेवा के दौरान औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची "सी" में विनिर्दिष्ट पदार्थों में से किसी पदार्थ का उत्पादन करने वाली फर्मों के निरीक्षण में तीन वर्ष का अनुभव ।"

[सं. ए-12018/3/2006-डी]

विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th April, 2010

G.S.R. 350(E).—In the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare (Department of Health & Family Welfare) Notification No. A-12018/3/2006-D dated 19-02-2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) on 19-02-2010 as No. GSR 86(E) notifying Recruitment Rules for the posts of Drugs Inspector in the Central Drugs Standard Control Organisation under Directorate General of Health Services, under the Ministry of Health and Family Welfare, the entries under Column 8 of the Schedule shall be substituted to read as :

"Essential :—

(i) Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from a recognized University or equivalent;

(ii) (a) Eighteen months' experience in the manufacture of at least one of the substances specified in Schedule 'C' to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945; or

(b) Eighteen months' experience in testing of at least one of the substances specified in Schedule 'C' to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 in a laboratory approved for this purpose by the licensing authority; or

(c) Three years' experience in the inspection of firms manufacturing any of the substances specified in Schedule 'C' to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 during the tenure of their services as Drugs Inspector."

[No. A-12018/3/2006-D]

VINEET CHAWDHRY, Jt. Secy.

1588 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.